(57)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2018/0391 विरूद्ध आदेश दिनांक 06.10.2017 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, वृत्त-2, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल प्रकरण क्रमांक 01/अ-12/2017-18.

श्रीमती टीकाबाई पत्नी नारायण सिंह
निवासी ग्राम बरोड़ी, तहसील बैरसिया,
जिला भोपाल, म.प्र. ....आवेदक

विरूद्ध

खुमान सिंह यादव पुत्र बलभद्र सिंह
निवासी ग्राम रोझिया, तहसील बैरसिया,
जिला भोपाल, म.प्र. ....अनावेदक

श्री संजय नायक, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/6/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, वृत्त-2, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल द्वारा पारित दिनांक 06.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक खुमान सिंह यादव आ. बलभद्र सिंह निवासी ग्राम रोझिया, तसील बैरसिया, जिला भोपाल द्वारा अपने स्वत्व की भूमि ग्राम रोझिया स्थित खसरा नंबर 35, 36, 37, 38, 40, 120, 131, 211/1, 130, 212/2 का सीमांकन कराने हेतु एक आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक वृत्त-2, बैरसिया, जिला भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण क्र. 01/अ-12/17-18 दर्ज कर दिनांक 06.10.2017 को सीमांकन आदेश पारित किया गया। राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन की पूरी कार्यवाही बाला-बाला मनमाने तरीके से संपादित की गई है। आवेदक को कभी भी कोई सूचना पत्र या जानकारी राजस्व निरीक्षक द्वारा नहीं दिया गया एवं न ही कोई नोटिस न्यायालय द्वारा प्राप्त हुआ एवं अनुपस्थिति में ही सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जो कि संहिता के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है।

(2) राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन प्रकरण में संलग्न सूचना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि सीमांकन की जानकारी मात्र अनावेदिका को छोड़कर किसी अन्य पड़ोसी को नहीं दी गई न ही सीमांकन प्रकरण में आवेदक को प्रेषित कोई नोटिस संलग्न है एवं न ही राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रेषित सूचना पत्र पर आवेदक के संबंध में कोई टीप अंकित है। इससे स्पष्ट है कि संपूर्ण कार्यवाही पक्षपातपूर्ण है एवं मात्र कागजी कार्यवाही की गई है एवं आवेदिका को फायदा पहुँचाने के उद्देश्य से की गई है, इसलिए संपूर्ण कार्यवाही न्याय प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है।

(3) राजस्व निरीक्षक द्वारा बनाये गये पंचनामा पर भी मात्र अनावेदक के पहचान वालों के हस्ताक्षर हैं, जिससे स्पष्ट है कि पूरी कार्यवाही दोषपूर्ण है, इसलिए निरस्ती योग्य है।

(4) मौके पर राजस्व निरीक्षक द्वारा नक्शा तैयार किया गया है एवं उसमें जो आवेदक को अवैधानिक कब्जा दिखाया गया है वह रोड के एक साईड में है, जिस ओर आवेदक की स्वयं की भूमि है एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा मनमाने ढंग से नक्शे पर अनाधिकृत कब्जा दिखाया गया है, जिसके कारण से सीमांकन कार्यवाही निरस्त करना आवश्यक है।

(5) राजस्व निरीक्षक द्वारा बनाये गये पंचनामा एवं प्रतिवेदन में अंतर है, जिससे प्रतीत होता है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा जानबूझकर अनावेदक को फायदा पहुँचाने के उद्देश्य से बारा-बारा सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण की गई है एवं जानबूझकर आवेदक को सूचना नहीं दी गई है, इस कारण से भी सीमांकन निरस्ती योग्य है।

(6) आवेदक विगत अनेकों वर्षों से अपनी भूमि पर काबिज होकर अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से कृषि कार्य कर रहे हैं एवं उनका किसी भी प्रकार से अवैधानिक कब्जा नहीं है, केवल अनावेदक को फायदा पहुँचाने के उद्देश्य से राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन की कार्यवाही संपादित की गई है, जो निरस्ती योग्य है।

अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सीमांकन आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ आवेदक पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक का कोई जानकारी या सूचना पत्र राजस्व निरीक्षक द्वारा नहीं दिया गया एवं न ही कोई नोटिस आवेदक को तामील हुआ, अनावेदक द्वारा सीमांकन की फीस जमा कराने का भी कोई प्रमाण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक की अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया है। इस प्रकार राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन के संबंध में संपूर्ण कार्यवाही पक्षपातपूर्ण है। इसलिए राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही वैधानिक एवं उचित न होने के कारण पारित सीमांकन आदेश दिनांक 06.10.2017 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः प्रकरण राजस्व निरीक्षक, वृत्त 2, तहसील बैरसिया की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभय पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधिवत सीमांकन आदेश पारित करें।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, वृत्त-2, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.10.2017 निरस्त किया जाता है। उपरोक्त विवेचना के तारतम्य में प्रकरण पुनः आदेश पारित करने हेतु राजस्व निरीक्षक, वृत्त-2, तहसील बैरसिया की ओर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर